न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 24/2019 अपील (GCMS/2019/00033)
पंजीयन दिनांक - 27.05.2019
निर्णय दिनांक - 08.10.2021

1. **श्री हकरा पिता श्री काला गरासिया, निवासी पाडलवाडा, ग्राम पंचायत जोगीवड, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर।**
2. **श्री जाला पिता श्री काला गरासिया, निवासी पाडलवाडा, ग्राम पंचायत जोगीवड, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर।**

-अपीलार्थी

बनाम

1. **श्री जोगाराम पिता नानाजी गरासिया मृतक के बजाये-**
   - **1.1. श्रीमती अमिया पत्नि स्व. श्री जोगाराम गरासिया,**
   - **1.2. श्री सवा पिता स्व. श्री जोगाराम गरासिया,**
   - **1.3. श्री रमेश पिता स्व. श्री जोगाराम गरासिया,**
   - **1.4. सुश्री संकली पुत्री स्व. श्री जोगाराम गरासिया,**
   - **1.5. सुश्री भूरकी पुत्री स्व. श्री जोगाराम गरासिया,**
   - **1.6. सुश्री रेशमी पुत्री स्व. श्री जोगाराम गरासिया,**

   रेस्पोडेंट संख्या-1/4 से लेकर 1/6 तक नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती अमीया पत्नि स्व. श्री जोगाराम गरासिया, सर्वनिवासी चणवा, पाबा, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही।
2. **सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार, कोटडा, उदयपुर।**

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-2

प्रकरण संख्या-05/2015, अनवान श्री जोगाराम बनाम श्री हकरा में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.2015 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 08.10.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटडा द्वारा प्रकरण संख्या-05/2015, अनवान श्री जोगाराम बनाम श्री हकरा में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2015 के विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष प्रस्तुत की जिसका श्रवणाधिकार न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को होने से पत्रावली पत्र दिनांक 10.05.2019 से प्राप्त हुई जिसे दिनांक 27.05.2018 से दर्ज रजिस्टर की गई और रेस्पोडेंट पर तामिली की कार्यवाही सम्पादित की गई।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटडा समक्ष श्री जोगाराम पिता श्री नाना गरासिया द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम पाडलवाडा में उसके पिता श्री नाना पिता धुला के नाम पर ख.न. 118, 119/1, 119/2, 120, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 172, 173 किता 13 रकबा 12.03 बीघा राजस्व रिकार्ड में दर्जशुदा भूमि थी। उसके पिता की मृत्यु विगत 23 वर्ष पूर्व हो चुकी है और वह उनका एकमात्र पुत्र होकर भूमि का वारिस है। उसके पिता नाना को लाऔलाद फौत बताकर हकरा व जाला द्वारा गलत नामान्तरकरण उनके नाम पर दर्ज करवा दिया ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का नामान्तरकरण खारिज कर प्रार्थी श्री जोगाराम पिता श्री नाना गरासिया के नाम पर राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण दर्ज कराने का आदेश करावें।

- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडा द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत कैंप कोर्ट अभियान मु. माण्डवा में रखी द्वारा निर्णय दिनांक 20.06.2015 से निर्णय पारित किया कि ''**पत्रावली पर उपलब्ध सरपंच ग्राम पंचायत कउचा एवं अपीलान्ट के शपथ पत्र के आधार पर यह प्रतीत होता है कि नानीया का अपीलांट एकमात्र वारिस है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत जोगीवड द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 124 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत जोगीवड द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 124 दिनांक 15.08.2000 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार कोटडा को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि नानीया मुतबन्ना धुला के विधिक वारिसान की जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।**''

वकील अपीलार्थी एवं अधिवक्ता प्रत्यर्थी-2 उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 02.08.2021 को सुनी गई। मृतक जोगाराम के नामकायमी से पूर्व श्री जोगाराम द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान खातेदार/अपीलान्ट को तलब किये बिना एवं बिना सुनवाई का मौका दिये आदेश पारित किया। रेस्पोडेंट द्वारा अपने गावं जोगीवड में कैंप लगा उस दिन जानबुझकर कोई प्रार्थना पत्र/अपील प्रस्तुत नहीं किया बल्कि गांव जोगीवड से 30 किमी दूर अटल सेवा केन्द्र मांडवा में पेश की जिससे उसके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी किसी को न हो। नामान्तरकरण संख्या-124 की न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर में अपील लम्बित थी जिसमें स्थगन जारी होने पर भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर दिया गया। जोगाराम द्वारा बाद में उक्त अपील को आलौच्य निर्णय उपरान्त विड्रो कर लिया। श्री जोगाराम नानिया मुतबन्ना धुला गरासिया का कोई पुत्र नहीं है, गावं पाडलवाडा में नहीं रहता है, न ही उसका नाम वोटरलिस्ट में नाम है, ना ही राशनकार्ड है, ना ही आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र है बल्कि वह मूल रूप से गांव पाबा तहसील आबूरोड़ में स्थाई रूप से निवास करता है। मिथ्या तथ्यों पर आलौच्य आदेश पारित करवाया। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो मौके की जांच

रिपोर्ट वादग्रस्त आराजी पर आधिपत्य के बारे में मंगवाई, न कोई जांच की, न मौखिक व लिखित साक्ष्य संकलित किये, इस प्रकार उपरोक्त सारे राजस्व नियमों की अवहेलना करते हुए पारित किये गये आदेश को खारिज किया जाना न्यायसंगत होगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडा द्वारा बप्रकरण संख्या-2/2015 नामान्तरकरण अपील आदेश दिनांक 20.06.2015 खारिज फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय पेरोकार द्वारा अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के खण्डन में बहस में प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्री जोगाराम प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत कउचा के शपथ पत्र के आधार पर श्री जोगाराम को स्वर्गीय श्री नानीया का एक मात्र वारिस माना और आलौच्य नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार कोटडा को प्रतिप्रेषित कर श्री नानीया के विधिक वारिसान की जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया, जो पूर्णतया विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

मृतक जोगाराम के नामकायमी से पूर्व श्री जोगाराम द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जिसमें कथन किये गये कि प्रकरण को तहसीलदार कोटडा को रिमांड किये जाने में अपीलार्थी के कोई हक व अधिकार प्रभावित नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जोगाराम को नानिया मुतबन्ना धुला का विधिक वारिसान होना मानकर उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया था। उक्त प्रकरण कैंप कोर्ट में इसलिए रखा गया था कि पीड़ित पक्ष को त्वरित न्याय मिल सके। विवादित भूमि हो हडपने के इरादे से अपीलान्ट द्वारा नानिया को लाऔलाद बता नामान्तरकरण अपने पक्ष में स्वीकृत करा लिया और सजरे के सम्बन्ध में सरपंच से झुठा प्रमाण पत्र बनवा लिया। नामान्तरकरण पूर्व में विरासत के आधार पर खोला गया था, ऐसे स्थिति में मौके की जांच रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी, उक्त भूमि पर जोगाराम का कब्जा है।

हमनें उपस्थित अधिवक्ताओं की विद्वतापूर्ण बहस एवं पत्रावली पर पूर्व से उपलब्ध मृतक जोगराम द्वारा प्रस्तुत लिखित पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अपीलार्थी द्वारा अति.जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष दस्तावेज की सूची मय दस्तावेज पेश किया जिस पर हम सर्वप्रथम विवेचन किया जाना उचित समझते है। प्रस्तुत किए गए दस्तावेज राजकीय विभाग से जारी की गई फोटोप्रतियां है, हस्तगत प्रकरण में निर्णय प्रतिपादित किये जाने में सहायक होगे, जिससे यह दस्तावेज रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है जिससे उक्त दस्तावेज रेकर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत जोगीवड द्वारा श्री नानीया मुतबन्ना धुला गरासिया के फौत होने से विरासत का नामान्तरकरण संख्या 124 श्री हकरा, जाला पिता काला के नाम दिनांक 15.08.2000 को स्वीकृति दी क्योंकि नाना बेऔलाद होकर उसकी बेवा का भी इन्तकाल हो चुका है। उक्त नामान्तकरण से व्यथीत होकर श्री जोगाराम उसके पिता नानीया की एकमात्र पुत्र वारिस होने से अपील उपखण्ड अधिकारी कोटडा समक्ष प्रस्तुत की जिस पर

उपखण्ड अधिकारी, कोटडा द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ ग्राम पंचायत जोगीवड द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 124 दिनांक 15.08.2000 को निरस्त किया और प्रकरण तहसीलदार कोटडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि नानीया मुतबन्ना धुला के विधिक वारिसान की जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलीय कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि श्री जोगाराम द्वारा एक अपील उक्त नामान्तरकरण संख्या-124 के विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष प्रस्तुत की, जिसके नम्बर 01/2014 हुए, जिसमें दिनांक 24.06.2015 को यथास्थिति में आदेश प्रदान किये गये। उक्त यथास्थिति में आदेश से पूर्व आलौच्य निर्णय दिनांक 20.06.2015 को पारित किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि वक्त निर्णय दिनांक 20.06.2015, विवादित भूमि पर कोई स्थगन नहीं था। अति. जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 1/2014 श्री जोगाराम द्वारा दिनांक 16.07. 2015 को विड्रो की गई।

जैसाकि उपरोक्त पेरा में वर्णन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा दौराने अपीलीय कार्यवाही विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जिसमें अपीलार्थी द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना कोटडा की एक अंतिम रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई। उक्त अंतिम रिपोर्ट श्री जोगाराम द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संख्या 116/2015 धारा 420, 477, 463, 120बी आईपीसी में प्रस्तुत की जिसमें पुलिस द्वारा जोगाराम का विवादित भूमि के कोई मालिकाना हक नहीं मानते हुए प्रकरण अनुसंधान में अदम बकुआ झुठा पाये जाने का उल्लेख किया है। उक्त रिपोर्ट में श्री जोगाराम को पूर्वहिताधिकारियों/पूर्वखातेदारों से कोई सम्बन्ध नहीं होने के बारे में विस्तृत उल्लेख किया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण को लोक अदालत कैंप कोर्ट में रखने से पूर्व प्रत्यर्थीगण को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, न ही उनको सूचित किया और न ही उनको सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्री जोगाराम द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की जांच की गई, ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। न ही यह जांच की गई कि श्री जोगाराम का विवादित भूमि पर कोई मालिकाना हक है अथवा नहीं। न ही उक्त विवादित भूमि के पूर्व खातेदारों से श्री जोगाराम के सम्बन्ध के बारे में जांच की गई जो आवश्यक थी जबकि थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोटडा की अंतिम रिपोर्ट अनुसार जोगाराम का विवादित भूमि के कोई मालिकाना हक नहीं है और उक्त रिपोर्ट में श्री जोगाराम को पूर्वहिताधिकारियों/पूर्वखातेदारों से कोई सम्बन्ध नहीं होने के बारे में विस्तृत उल्लेख किया है। यह भी पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत में न रख कर अन्य ग्राम पंचायत में रखा गया जिससे सम्बन्धित अन्य पक्षकारों को अपने कथन प्रस्तुत करने कोई अवसर नहीं मिल पाया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने यह जानने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की कि आलौच्य नामान्तरकरण के विरूद्ध अन्य किसी न्यायालय में कोई प्रकरण लम्बित तो नहीं है। न ही श्री जोगाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष यह प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा इसी नामान्तरकरण संख्या 124 दिनांक 15.08.2000 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जो उपखण्ड अधिकारी, कोटडा समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करते समय लम्बित थी। इससे यह उजागर होता है कि श्री जोगाराम द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर में अपील

लम्बित रहने के दौरान उसकी इच्छानुसार अनुतोष प्राप्त नहीं होने की स्थिति की संभावना के दृष्टिगत बाईपास रास्ता अपनाकर उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में उक्त कृषि भूमि की विषयवस्तु को भी अधीनस्थ न्यायालय समक्ष वाद की विषयवस्तु बनाकर प्रकरण प्रस्तुत किया है, जो पूर्णतया अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। श्री जोगाराम का यह कृत्य यह भी प्रकट करता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है, जिससे वह अनुचित अनुतोष पाने का किसी प्रकार से अधिकारी नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही लोक अदालत की मूल भावना के पूर्णतया विपरित है। हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त सभी तथ्य जांच की बिन्दु थे, जिन पर उपखण्ड अधिकारी, कोटडा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं गई, ऐसे में यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटडा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.06.2015 से सहमत नहीं होने से उसे निरस्त किया जाना उचित समझता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त बिन्दुओं एवं वर्तमान अपील के अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के परिपेक्ष्य में विवादित भूमि के सम्बन्ध में जांच कर सभी पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने बाबत प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत हैं।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालाय उपखण्ड अधिकारी, कोटडा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.06.2015 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं एवं वर्तमान अपील के अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के परिपेक्ष्य में विवादित भूमि के सम्बन्ध में जांच कर सभी पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय समक्ष हस्तगत अपीलीय कार्यवाही दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर